राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (R–529) अलेसे– I / 619 दिनांकः– 28-11-2019

कार्यालय आदेश

श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 14570/2019 विभाग के आदेश संख्या 482/2019–20 दिनांक 18.09.2019 के विरूद्ध दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैः–

"In view thereof, the writ petition filed by the petitioner stands disposed of with direction to the respondents to decide the representation made by the petitioner with in a period of two weeks from the date a copy of this order is placed with the respondends by way of a speaking order."

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विभागीय आदेश संख्या 482/2019–20 दिनांक 18.09.2019 द्वारा श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I का स्थानान्तरण कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संगरिया (हनुमानगढ) से कार्यालय उपवन संरक्षक, चूरू में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I के पद को रिक्त मानते हुए किया गया था, जबकि उक्त कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I के विरूद्ध श्री रामावतार माली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II कार्यरत है।

प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों का अवलोकन करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I को उपवन संरक्षक, चूरू में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I के पद के विरूद्ध कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है और उक्तानुसार श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.10.2019 का निस्तारण किया जाता है।

(सुरेश कुमार असवाल)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (R–529) अलेसे– I / 619 दिनांकः– 28-11-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपवन संरक्षक, चूरू को प्रेषित कर लेख है कि श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I के उनके यहां कार्यग्रहण करने पर श्री रामावतार माली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II को अविलम्ब कार्यमुक्त कर निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संगरिया (हनुमानगढ) को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I को अविलम्ब कार्यमुक्त करें।
4. श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संगरिया (हनुमानगढ) को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.10.2019 के क्रम में प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय आदेश संख्या 482/2019–20 दिनांक 18.09.2019 की अनुपालना में उपवन संरक्षक, चूरू में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I के पद पर तत्काल कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें।
5. श्री रामावतार माली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II, कार्यालय–उपवन संरक्षक, चूरू को पालनार्थ।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.in Fax-2740735, Tel.- 2744134

D:\2016\Shyam ji\Order.doc90